सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 92/2016

1. रामलाल पुत्र स्व0 श्री लूनाराम जाति नायक निवासी चक 20 एम.एल.बी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. संजय पुत्र रामलाल जाति नायक निवासी चक 20 एम.एल.बी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी चक 20 एम.एल.बी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी नेहरा नगर श्रीगंगानगर
2. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, श्रीगंगानगर दिनांक 01.10.2014 प्रकरण सख्या 02/2013 अनवानी सुनील कुमार बनाम रामलाल वगैरहा, जिसके द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राज.काश्ताकारी अधिनियम स्वीकार किया गया को निरस्त करने हेतु।

उपस्थित :
1. श्री जरनैल सिंह टुरना, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट
3. श्री कुलवन्तसिंह रूपू, एडवोकेट रेस्पोडेंट

आदेश   दिनांक : 11-12-2017

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.10.2014 विरूद्व कानून, रिकॉर्ड एवं सर्वमान्य सिद्वान्तों के होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू को समझने में कानूनी भूल की है कि गैर–खातेदारी कस्टोडियन भूमि का क्षेत्राधिकार न्यायालय को है। जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा आवंटित भूमि के सम्बन्ध में जमाबन्दी के कॉलम नम्बर 4 में राष्ट्रपति , भारत सरकार का नाम दर्ज होता है। इसलिये धारा 183(बी), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय को वाद पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नहीं है। अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को जरिये विकय पत्र किया गया कृषि भूमि का अन्तरण एवं इसके आधार पर उस कृषि भूमि पर काबिज व्यक्ति को अतिकमी नहीं माना जा सकताा है। इस बिन्दू को अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के परिप्रेक्ष्य में सही न पढ कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी विवादित भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक कमशः 19.05.2011 एवं 26.02.2009 को पारित निर्णय से स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर वर्ष 1968 से अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है जो वैध है। अपीलार्थीगण

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

द्वारा माननीय राजस्थान उच्च मण्डल न्यायालय, अजमेर द्वारा प्रकरण अनवानी राजस्थान राज्य बनाम फरीदखान, आरआरडी–1980 पेज–744 में पारित निर्णय में प्रतिपादित किये गये सिद्वान्त का हवाला देते हुए निवेदन किया कि अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र , जो पंजीबद्व है, के आधार पर धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्त पर कोई गौर न कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। दोनो पक्षों के मध्य पूर्व में उपखण्ड अधिकारी , श्रीगंगानगर के यहां बेदखली का दावा खारिज हो चुका है। इसलिए वर्तमान प्रार्थना पत्र धारा 11 सिविल प्रकिया संहिता के सिद्वान्त के अनुसार निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2014 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दिनांक 17.10.2014 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि चेतनराम पुत्र गंगाराम को बतौर नॉन क्लेममेंट पर चक 20 एम.एल. तहसील श्रीगंगागनर मुरब्बा नम्बर 55/57 में 25.00 बीघा चेतनराम स्वंय, गोरा (पत्नी), मनफुल लडका, सुरजन उर्फ सुरजाराम लडका, सोलना लडका उपरोक्त पांच जीवों पर रकबा अलाट है। जिसमें चेतनराम 1/5 हिस्सा अलाटमेंट में है। उसके द्वारा कोई जमीन का बेचान नहीं किया है ना ही उसे जमीन बेचने का अधिकार था। चेतनराम तथा उसकी पत्नी गोराव लडका मनफुल राम के मरने के बाद जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा दिनांक 04.02.1996 को तमाम जमीन काहकदार अप्रार्थी के पिता के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया । प्रार्थी के पिता लूणाराम जमीन पर नाजायज काबिज हो गया था। प्रार्थी के पिता के वारिस घोषित होने के बाद जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा दिनांक 16.05.1987 को उपरोक्त जमीन पर कब्जा दिये जाने का आदेश दिया गया जिस पर अप्रार्थी जमीन को जमीन का कब्जा दिलाया गया लेकिन कब्जा मिलने के बाद प्रार्थी के पिता ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की जिसमें आपसी झगडा हुआ तथा रकबा रिसीवर नियुक्त किया। उपजिलाधीश द्वारा दिनांक 06.06.2006 को कब्जा प्रार्थी के पिता को देने का आदेश दिया गया। इस आदेश के खिलाफ अप्रार्थी के पिता ने अपर जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष निगरानी पेश की । जिसका निर्णय दिनांक 15.09. 2006 को अप्रार्थी के पिता के हक में करके जमीन का कब्जा अप्रार्थी के पिता को दिया गया तथा प्रार्थी के पिता को पाबन्द किया कि वह अप्रार्थी जमीन पर जबरन कब्जा ना करें तथा विधि अनुसार कार्यवाही करें लेकिन प्रार्थी के पिता ने कानून को अपने हाथ में लेकर अपर जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के आदेश की अवहेलना कर जबरन कब्जा किया था जिस पर तहसीलदार द्वारा बेदखल करने का आदेश दिया जो बिल्कुल सही है इसलिए प्रार्थी हक में कोई प्रथम दृष्टि से मामला नहीं है ना ही उसे अपूर्णीय क्षति होगी। अपील में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि धारा 212 आरटीए वाद के साथ लागू होते है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 01.10.2014 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 01.10.2014 को प्रकरण संख्या 02/2013 अनवानी सुनील वगैरा बनाम रामलाल वगैरा में धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गया जो तहसीलदार द्वारा बिना क्षेत्राधिकार, विधि विरूद्व तरीके से निर्णय किया गया है जोकि अकृत व शुन्य है, इसी आधार पर निरस्त योग्य है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 1954 पेज नम्बर 340, आर.आर.डी. 1973 पेज नम्बर 53 में उद्वित किया गया है।

चक 20 एम.एल.बी. के मुरब्बा नम्बर 55/57 की 25 बीघा भूमि चेतनराम पुत्र गंगाराम को पूर्नवास विभाग द्वारा आवंटन हुई थी। चेतनराम द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 15.04.1968 के आधार पर चक 20 एम.एल.बी. के मुरब्बा नम्बर 55/57 के किला नम्बर 13 ता 25 कुल 12.10 बीघा भूमि प्रतिफल लेकर लुनाराम पुत्र गणपत सिंह को जो कि अपीलान्ट का पिता था को बेचान कर दी थी और कब्जा भी वरवक्त बैयनामा अपीलान्ट के पिता को दे दिया गया था, क्योंकि अपीलान्ट के पिता का देहान्त दिनांक 17.01.2010 को हो गया था। अपीलान्ट बतोर प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण सहधिकार उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। अपीलान्ट न तो अतिक्रमी की परिभाषा में आते है, लेकिन तहसीलदार द्वारा पत्रावली पर आयी हुई दस्तावेजों को अनदेखी करके विधि विरूद्व तरीके से निर्णय किया गया है, क्योंकि तहसीलदार को गैर खातेदारी कस्टोडियन भूमि के सम्बन्ध में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद सूनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अनवानी प्रकरण 162/2007 सरस्वती देवी वगैरा बनाम प्रीतम कोर –लूणाराम वगैरा में दिनांक 26.02.2009 को रेस्पोडेन्ट का वाद पत्र इसी आधार पर खारिज कर दिया गया था कि " **भूमि गैर खातेदारी कस्टोडियन विभाग की होने के कारण इस न्यायालय को सुनने का अधिकार ना होने के कारण दावा वादीगण खारिज किया जाता है**" लेकिन तहसीलदार ने यह माना है कि बैयनामा दिनांक 15.04.1968 का है और गैर खातेदारी भूमि का बैयनामा के आधार पर अपीलान्ट को कब्जा रखने का कोई विधिक व कानूनी अधिकार प्राप्त नही है, कतई गलत है, क्योंकि **"राजस्थान सरकार के पुर्नवास विभाग के नोटिफिकेशन नम्बर 2(67)/61/111 दिनांक 16.10.1987"** में यह उद्वित किया गया है कि जो जमीन बिना खातेदारी अधिकार के बैचान हो गई उनको बेदखल नही किया जावें, लेकिन तहसीलदार ने कानून की अवहेलना करते हुए राज्य सरकार के आदेशों को भी न मानते हुए बिना क्षेत्राधिकार के निर्णय पारित किया है जो कि अकृत व शुन्य की परिभाषा में आता है। उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.02.2009 अंतिम हो चुके थे जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी , श्रीगंगानगर के अनवानी प्रकरण सरस्वती वगैरा बनाम प्रीतम कोर वगैरा अपील संख्या 27/2009 प्रस्तुत की थी जिसका निर्णय भी दिनांक 17.08.2016 को हो चुका है, इसलिए रेस्पोडेन्टस तहसीलदार के समक्ष कोई भी प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नही थे, लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा तथ्यों को छुपाकर आपराधिक षडयन्त्र रचकर अपीलान्ट को ब्लैकमेल करने की नियत से विधि विरूद्व तरीका से धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र तहसीलदार से विधि विरूद्व तरीके से आदेश दिनांक 01.10.2014 प्राप्त किये है, जो कानूनन अकृत व शुन्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जो आवश्यक पक्षकार थे उनकों पक्षकार नही बनाया गया क्योंकि पूर्नवास विभाग की यह भूमि थी जिसे भी पक्षकार नही बनाया गया और न ही लैण्ड होल्डर को पक्षकार बनाया है इसलिए आवश्यक पक्षकारों के आभाव में रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र धारा 183 बी चलने योग्य नही था। रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया था, क्योंकि चेतनराम पुत्र गंगाराम द्वारा दिनांक 15.04.1968 को पंजिकृत बैयनामा के आधार पर भूमि का बैचान कर दिया था और कब्जा भी अपीलान्ट के पिता को दे दिया था और 46 वर्षो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के पश्चात रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश किया गया है, जो कि मियाद बाहर है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 2009 पेज नम्बर 3115 में सिद्वान्त प्रतिपारित कियाय गया है। **अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी व पुर्नवास अधिकारी के समक्ष बैयनामा का नियमन करवाने हेतु नियमानुसार आवेदन कर रखा है क्योंकि पुर्नवास विभाग द्वारा निष्कान्त** कृषि भूमि के सम्बन्ध में जारी प्रपत्र कमांक एफ–1(15)राजस्व / पुर्नवास/2009 जयपुर, दिनांक 06 अक्टुबर 2009 व केन्द्रीय सरकार के द्वारा जारी किये गये निर्देश दिनांक 22.09.2008 के अनुसार भी नियमन हेतु उपजिलाधीश एवं पुर्नवास अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.11.2012 को प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था जिसका मुकदमा नम्बर 89/2012 है। इस प्रकार से उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर व पुर्नवास अधिकारी के समक्ष मामला सबज्युडीस था , इसलिए भी तहसीलदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नही था। रेस्पोडेन्ट द्वारा जिला पुर्नवास अधिकारी के समक्ष भी पुर्नवास अधिनियम की धारा 29(2) नियम 120 के अन्तर्गत भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें पुर्नवास अधिकारी द्वारा कोई भी भूमि रिसीवर करने की कार्यवाही नहीं की गई थी, क्योंकि राज्य सरकार के दिनांक 16.10.1987 के निर्देशों अनुसार कोई भी कार्यवाही नही की गई थी, और बाद में चेतनराम के वारिसों द्वारा धारा 145 सीआरपीसी के तहत भूमि का रिसीवर नियुक्त करने की कार्यवाही की गई जिस पर उपदण्डनायक श्रीगंगानगर द्वारा भूमि को रिसीवर नहीं किया गया था, जिसकी निगरानी रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सख्या 1 श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 15.09.2006 को निगरानी स्वीकार कर ली गई, इस आदेश के खिलाफ निगरानी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपीलान्ट के पिता व प्रितम कौर द्वारा प्रस्तुत की जिसमें निगरानी स्टे का नम्बर 808/2006 था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 09.10.2006 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 15.09.2006 स्थगित कर दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की मूल निगरानी में दिनांक 05. 05.2008 को आदेश दिया कि तीन माह के अन्दर–अन्दर सिविल न्यायालय केस का निस्तारण करें और बाद में माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर द्वारा दिनांक 19.05.2011 को सिविल कोर्ट की जगह रेवन्यु कोर्ट दर्ज किया गया इस प्रकार से राजस्व न्यायलय का निर्णय अन्तिम था जो निगरानी संख्या 808/2006 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व प्रीतम कौर द्वारा जिसमे तहसीलदार भी पक्षकार था इसलिए तहसीलदार को कानूनन कोई भी आदेश पारित करने के अधिकार नही थे इससे पूर्व भी जो निगरानी संख्या 430/99 माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर में निर्णय दिनांक 08.12.1999 में यह आदेश दिये गये थे कि "**Consequently,the petition is allowed, the order of learned additional Session Judge No.1, Sri Ganganagar is set acide and order learned Sub Division Magistrate, Sri Ganganagar is revived and maintained. He is directed to dispose of the proceedings with in a period of three months from today**" जिस पर दिनांक 20.05. 2003 को उपदण्डनायक श्रीगंगानगर द्वारा साक्ष्य के आभाव से प्रकरण को निरस्त कर दिया और जिनसे कब्जा लिया गया था उन्हें कब्जा वापिस दिला दिया यानि कि अपीलान्टस को कब्जा दिला दिया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.05.2008 में यह निर्देशित किया कि इस भुमि के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय ही

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

निर्णय करें और जिस पर उपखण्ड अधिकारी एवं पुर्नवास अधिकारी द्वारा दिनांक 26.02.2009 को रेस्पोडेन्टस का वाद पत्र खारिज कर दिया गया जिसकी अपील सरस्वतीदेवी वगैरा यानि कि रेस्पोडेन्टस द्वारा राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसकी अपील सख्या 27/2009 थी और दिनांक 17.08.2016 को अपील खारिज कर दी गई थी। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस सख्या 1 द्वारा न्यायालय के निर्णय को छुपाकर धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नही थे इसलिए अपीलान्टस द्वारा इनके खिलाफ जवाहरनगर थाना श्रीगंगानगर प्रथम सुचना संख्या 525/2016 दिनांक 07.09.2016 को धारा 120, 420,418,423,465,467,468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत दर्ज करवाई गई, क्योंकि चेतनराम के वारिसों को कानूनन कब्जा नही दिया जा सकता था क्योंकि चेतनराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही भूमि का पंजिकृत बैयनामा के आधार पर बेचान कर दिया था और बैयनामा किसी भी संक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है इसलिए चेतनराम के वारिसों के खिलाफ विबन्धन का सिद्वान्त लागू होता है।

न्यायालय का यह कहना कि कानूनन तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपील की सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्राप्त नही है कतई गलत है क्योंकि तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत आदेश पारित किये है जिसकी अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 में माननीय न्यायलय में लाई करती है। आदेश दीवानी प्रकिया संहिता की धारा 2(14) में परिभाषित किया गया है कि ऐसे कोई भी आदेश जिससे किसी के अधिकारों पर प्रभाव पडता है उसकी अपील विधिनुसार पेश की जा सकती है। इसलिए यह अपील माननीय न्यायालय के श्रवणधिकार व क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत है।

सम्पति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 41 के तहत कृषि भूमि अपीलान्टस पाने के अधिकारी है, लेकिन रेस्पोडेन्टस को जमीन का दोबारा कब्जा नही दिया जा सकता क्योंकि सन् 1987 में ही पुर्नवास विभाग द्वारा निर्देश जारी किये हुए थे, लेकिन तहसीलदार द्वारा इन आदेशों की अवहेलना करते हुए बिना क्षेत्राधिकार के आदेश पारित किया है। बैयनामा दिनांक 15.04.1968 के बाद अपीलान्ट के पिता व अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि में काफी सुधार किये , कृषि भूमि की कीमतें बढ जाने के कारण रेस्पोडेन्टस व उनके परिवार के मन में लालच आ गया है इसलिए अपीलान्टस को ब्लैकमेल करने व नुकसान पहुंचाने की नियम से कार्यवाही कर रहे है। प्रश्नगत भूमि की पानी की पर्ची भी सन् 1989 से लेकर 2013 तक लुनाराम के नाम से ही बनती आ रही थी क्योंकि रकबे का पंजिकृत बैयनामा के आधार पर लुनाराम को बेचान हो चुका था। लिहाजा तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 01.10.2014 को निरस्त किया जावें व अपीलान्टस को रेस्पोडेन्टस से विशेष हर्जाना दिलवाया जावें।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि रेस्पोडेन्टस के दादा चेतनराम पुत्र गंगाराम को बतौर नान कलेमेन्ट (जीवों के आधार पर) चक 20 एमएलबी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 55 के 25.00 बीघा रकबा अलाट है। वरवक्त अलाटमेंट में चेतनराम स्वंय, गोरा (पत्नी), मनफुल लडका, सुरजन उर्फ सुरजाराम लडका, सोलना लडका उपरोक्त पांच जीवों पर रकबा अलाट है। जिसमें चेतनराम 1/5 हिस्सा अलाटमेंट में है। अलाटमेंन्ट के बाद चेतनराम , गोरा पत्नि, मनफूलराम का स्वर्गवास हो गया जिस पर रेस्पोडेन्टस के पिता सुरजनराम उर्फ सुरजाराम ने डीपीसी एण्ड आर एक्ट के नियम 76 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा तमाम कब्जा व वारिसान की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जांच करने के बाद तमाम जमीन का उतराधिकारी सुरजनराम उर्फ सुरजाराम को दिनांक 04.12.1986 को घोषित कर दिया । इस आदेश की कोई अपील पेश नही हुई। अतः यह आदेश अन्तिम हो गया है। रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम जमीन होने के बाद सुरजाराम ने एक प्रार्थना पत्र जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट के पिता ने जमीन पर नजायज कब्जा कर रखा है जब कि कोई जमीन चेतनराम ने नही बेची ना ही उसे जमीन बेचने का अधिकार है तथा रकबा गैर खातेदारी है जिस पर जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा उपरोक्त रकबा का कब्जा दिलाने का आदेश दिनांक 04.10.1986 को रेस्पोडेन्ट के पिता को दिया इस आदेश की कोई अपील पेश नहीं की यह आदेश भी अन्तिम हो चुका है। रेस्पोडेन्ट के पिता को कब्जा मिल जाने के बाद अपीलान्ट के पिता द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जिस पर आपसी में विवाद हो गया तथा दोनो पक्षकारों पर फौजदारी मुकदमा होने पर उपरोक्त रकबा पर उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी के तहत रिसीवर दिनांक 18.04.1986 को कर दिया तथा रिसीवर द्वारा जमीन का कब्जा रेस्पोडेन्ट के पिता से प्राप्त किया तथा उपरोक्त रकबा की कई वर्ष तक निलामी होती रही तथा दिनांक 06.06.2006 को उप जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा जमीन का कब्जा अपीलान्ट के पिता का घोषित करने का आदेश दिया गया जिसके खिलाफ रेस्पोडेन्ट के पिता ने माननीय अपर जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की । माननीय अपर जिला न्यायालय श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 15.09.2006 को रेस्पोडेन्ट के पिता की अपील निगरानी स्वीकार करके आदेश पारित किया कि निगरानी स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2006 अपास्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि का कब्जा सुरजाराम उर्फ सुरजनराम निगरानीकर्ता को दिलाया जावें ओर जब तक उसे विधि सम्यक् अनुक्रम में बेदख लना कर दिया जावें कोई भी पक्षकार उसके कब्जे में बाधा अथवा विधन नहीं डालेगा। अधिनस्थ न्यायलाय तुरन्त उसे भूमि का कब्जा सुपुर्द करावें इस आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट के पिता को उपरोक्त भूमि का कब्जा दिनांक 19.06.2006 को दिलाया गया। रकबा रिसीवर होने की वजहसे उपरोक्त रकबा का पानी पर्ची तहसीलदार के नाम बांधी गई थी, जिस पर रेस्पोडेन्ट ने अधिशाषी अभियन्ता के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट ने एतराज किया जिस पर अधिशाषी अभियन्ता ने निर्णय रेस्पोडेन्ट के हक में किया जिसके खिलाफ अपीलान्ट ने अधिक्षण अभियन्ता सिंचाई वृत के समक्ष अपील पेश की जो दिनांक 11.07.2011 को खारिज हो गई। अपीलान्ट ने जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया जबकि उनको किसी न्यायालय द्वारा कब्जा नहीं दिया गया जैसा कि अपर जिला न्यायालय श्रीगंगानगर द्वारा निर्देश दिये गये थे लेकिन अपीलान्ट ने आदेश की पालना ना करते हुए कानून को अपने हाथ में लेकर जबरन कब्जा कर लिया जिस पर रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर के समक्ष अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार द्वारा दोनो पक्षकारों को सुनकर दिनांक 01.10.2014 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए जमीन का कब्जा रेस्पोडेन्ट को देने का आदेश दिया जिसके खिलाफ अपीलान्ट ने जनाबवाला के समक्ष अपील पेश की जो निम्नलिखित आधार पर खारिज करने योग्य है।

अपीलान्ट ने पहला एतराज यह किया कि तहसीलदार को अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सुनने का अधिकार नही हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 19.10.2005 को डीपीसी एण्ड आर एक्ट रिलिफ कर दिया तथा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

भारत सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियम को निरस्त करने के उपरोक्त मंत्रीमण्डल की आज्ञा सख्या 69/2008 दिनांक 22.05.2008 को यह निर्णय किया कि पुर्नवास विभाग को समाप्त किया जावें तथा समस्त भूमि निष्क्रान्त को रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज किया जावें तथा भविष्य में इस प्रकार की भूमियों का निस्तारण राजस्व विभाग द्वारा किया जावेगा तथा कमांक एफ1(15)पुर्नवास/2009 दिनांक 06.10.2009 को राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी करके सभी अधिकार राजस्व विभाग को जारी किये गये है। इसलिए तहसीलदार को सुनवाई करने का अधिकार है, उनके द्वारा पारित आदेश विधि सम्वत् है। अपीलान्ट द्वारा यह कहना कि जमीन का बेचान किया गया है इसलिए काबिज व्यक्ति को बेदख ना किया जावें, हालांकि चेतनराम द्वारा कोई जमीन का बेचान नही किया ना ही उसे सारी जमीन बेचने का अधिकार है ना ही जमीन बेचान नियम के तहत किया जा सकता था तथा इस सम्बन्ध में जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 04.10.1986 को आदेश पारित किया गया है कि जिसमें डीएनजे 2015 पेज सख्या 111 है। क्योंकि चेतनराम जमीन बेचान करने में सक्षम नही है इसलिए अगर बेचान किया गया तो वह कानूनी सही नही है। माननीय अपर जिला न्यायालय के आदेश के वाद अपीलान्ट को किसी भी न्यायालय द्वारा कब्जा नही दिया गया। अपीलान्ट बतौर अतिक्रमी कब्जा किया है, जिसे बेदखल करने का अधिकार तहसीलदार को है। इसलिए तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह बिलकुल सही है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है। अतः अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया।

चक 20 एम.एल.बी. के मुरब्बा नम्बर 55/57 की 25 बीघा भूमि चेतनराम पुत्र गंगाराम को पुर्नवास विभाग द्वारा आवंटन हुई थी। चेतनराम द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 15.04.1968 के आधार पर चक 20 एम.एल.बी. के मुरब्बा नम्बर 55/57 के किला नम्बर 13 ता 25 कुल 12.10 बीधा भूमि प्रतिफल लेकर लुनाराम पुत्र गणपत सिंह को जो कि अपीलान्ट का पिता था को बेचान कर दी थी और कब्जा भी वरवक्त बैयनामा अपीलान्ट के पिता को दे दिया जाना बताया था, क्योंकि अपीलान्ट के पिता का देहान्त दिनांक 17.01.2010 को हो गया था। अपीलान्ट बतोर प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण सहधिकार उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। अपीलान्ट अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आते है। उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अनवानी प्रकरण 162/2007 सरस्वती देवी वगैरा बनाम प्रीतम कोर –लूणाराम वगैरा में दिनांक 26.02.2009 को रेस्पोडेन्ट का वाद पत्र इसी आधार पर खारिज कर दिया गया था कि " **भूमि गैर खातेदारी कस्टोडियन विभाग की होने के कारण इस न्यायालय को सुनने का अधिकार ना होने के कारण दावा वादीगण खारिज किया जाता है**" लेकिन तहसीलदार ने यह माना है कि बैयनामा दिनांक 15.04.1968 का है और गैर खातेदारी भूमि का बैयनामा के आधार पर अपीलान्ट को कब्जा रखने का कोई विधिक व कानूनी अधिकार प्राप्त नही है, कतई गलत है, क्योंकि "**राजस्थान सरकार के पुर्नवास विभाग के नोटिफिकेशन नम्बर 2(67)/61/111 दिनांक 16.10. 1987**" में यह उद्वित किया गया है कि जो जमीन बिना खातेदारी अधिकार के बैचान हो गई उनको बेदखल नही किया जावें, तहसीलदार ने कानून की अवहेलना करते हुए राज्य सरकार के आदेशों को भी न मानते हुए बिना क्षेत्राधिकार के निर्णय पारित किया है जो कि अकृत व शुन्य की परिभाषा में आता है उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.02.2009 अंतिम हो चुके थे जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी , श्रीगंगानगर के अनवानी प्रकरण सरस्वती वगैरा बनाम प्रीतम कोर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

वगैरा अपील संख्या 27/2009 प्रस्तुत की थी जिसका निर्णय भी दिनांक 17.08.2016 को हो चुका है, इसलिए रेस्पोडेन्टस तहसीलदार के समक्ष कोई भी प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नही थे। चेतनराम पुत्र गंगाराम द्वारा दिनांक 15.04.1968 को पंजिकृत बैयनामा के आधार पर भूमि का बैचान कर दिया था और कब्जा भी अपीलान्ट के पिता को दे दिया था और 46 वर्षो के पश्चात रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कावाद पेश किया गया , जो कि मियाद बाहर है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 2009 पेज नम्बर 3115 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी व पुर्नवास अधिकारी के समक्ष बैयनामा का नियमन करवाने हेतु नियमानुसार आवेदन कर रखा है क्योंकि पुर्नवास विभाग द्वारा निष्क्रान्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में जारी प्रपत्र क्रमांक एफ–1(15)राजस्व / पुर्नवास/2009 जयपुर, दिनांक 06 अक्टुबर 2009 व केन्द्रीय सरकार के द्वारा जारी किये गये निर्देश दिनांक 22.09.2008 के अनुसार भी नियमन हेतु उपजिलाधीश एवं पुर्नवास अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.11.2012 को प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था जिसका मुकदमा नम्बर 89/2012 है। इस प्रकार से उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर व पुर्नवास अधिकारी के समक्ष मामला सबज्युडीस था , इसलिए भी तहसीलदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जिला पुर्नवास अधिकारी के समक्ष भी पुर्नवास अधिनियम की धारा 29(2) नियम 120 के अन्तर्गत भी प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पुर्नवास अधिकारी द्वारा कोई भी भूमि रिसीवर करने की कार्यवाही नहीं की, क्योंकि राज्य सरकार के दिनांक 16.10.1987 के निर्देशें अनुसार कोई भी कार्यवाही नही की गई थी, और बाद में चेतनराम के वारिसों द्वारा धारा 145 सीआरपीसी के तहत भूमि का रिसीवर नियुक्त करने की कार्यवाही की गई जिस पर उपदण्डनायक श्रीगंगानगर द्वारा भूमि को रिसीवर नहीं किया गया, जिसकी निगरानी रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सख्या 1 श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 15.09.2006 को निगरानी स्वीकार कर ली गई, इस आदेश के खिलाफ निगरानी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपीलान्ट के पिता व प्रितम कौर द्वारा प्रस्तुत की जिसमें निगरानी स्टे का नम्बर 808/2006 था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 09.10.2006 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 15.09.2006 स्थगित कर दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की मूल निगरानी में दिनांक 05.05.2008 को आदेश दिया कि तीन माह के अन्दर–अन्दर सिविल न्यायालय केस का निस्तारण करें और बाद में माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर द्वारा दिनांक 19.05.2011 को सिविल कोर्ट की जगह रेवन्यु कोर्ट दर्ज किया गया इस प्रकार से राजस्व न्यायलय का निर्णय अन्तिम था जो निगरानी संख्या 808/2006 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व प्रीतम कौर द्वारा जिसमे तहसीलदार भी पक्षकार था इसलिए तहसीलदार को कानूनन कोई भी आदेश पारित करने के अधिकार नही थे।

अपीलाधीन आदेश के तहत विवादित भूमि चक 20 एमएलबी के मु.न. 55/57 की 25 बीघा चेतनराम पुत्र गंगाराम इत्यादि को पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित हुई थी जिसे पंजीकृत बैयनामा दिनांक 15.04.1968 से 12.10 बीघा भूमि लूनाराम पुत्र गणपत सिंह (अपीलांट के पिता) को विक्रय की गई। वक्त विक्रय आवंटी चेतनराम गैर–खातेदार की हैसियत में था। जैसा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रकरण सख्या 162/2007 सरस्वती देवी वगैरा बनाम प्रीतम कौर –लूणाराम वगैरा में निर्णय दिनांक 26.02.2009 से भूमि गैर खातेदारी कस्टोडियन

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

विभाग की होने के कारण दावा वादीगण खारिज किया गया। हस्तगत प्रकरण में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान औपचारिक/अनोपचारिक तरीके से अन्य को किया और मौके पर मूल आवंटी को बजाय अन्य व्यक्ति काबिज होने का दावा कर रहे है। इस दावे को और अधिक बल राजस्थान सरकार के पुनर्वास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2 (67)/61/III दिनांक 16.10.1987 से मिल गया कि जो जमीन बिना खातेदारी अधिकार के बेचान हो गई उनको बेदखल नहीं किया जावे। प्रकरण में हस्तांतरण से राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के उपबंधो का भी उल्लंघन नही हुआ है। इस दृष्टि से यह मामला धारा 183 बी के दायरे में नहीं आता है इसलिए तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण को क्षेत्राधिकार /श्रवणाधिकार से परे जाकर दिनांक 1.10.2014 को निर्णीत किया है जो विधि विरूद्व है और इसे यथावत रखा जाना कानून की दृष्टि में न्यायोचित नहीं है। लिहाजा यह निर्णय/ आदेश कानूनन प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी है। न्यायालय हाजा भी इस विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश पर सुनने का अधिकार नहीं रखता क्योंकि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान मौजूद थे, परन्तु उस अधिनियम के निरसन के पश्चात भी दी गई व्यवस्था के तहत भी प्रकरण को यह न्यायलय नहीं सुन सकता लिहाजा अपील श्रवणधिकार/क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज की जाती है।

प्रकरण में राजस्थान सरकार राजस्व (पुनर्वास) विभाग के परिपत्र दिनांक 06, अक्टूबर 2009 के तहत कार्यवाही अपेक्षित है। इसमें पूर्व के 5 अधिनियमों के निरसन की स्थिति में वर्तमान में व्यवस्था दी गई है। हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में निस्तारण राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमियों का स्थाई आवंटन) नियम 1963 के तहत होना है। इसके लिए उपरोक्त नियमों के तहत नये जोडे गये नियम 5ए के तहत नियमन की कार्यवाही होनी है जिसके लिए उभयपक्ष दावेदार अपना दावा /आवेदन संबंधित उपखण्ड अधिकारी को करने में स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति सहित रिकार्ड लौटाया जावें ।

आदेश आज दिनांक 11.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/12/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

क्रमांक :– सीजी/का0 रिकार्ड/17/ 123 दिनांक :22-1-18

प्रेषिति :–

रीडर ADM (A)

कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर।

(4)

विषय :– प्रतिलिपि देने हेतु पत्रावली/रिकार्ड भिजवाने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने हेतु निम्नांकित रिकॉर्ड/पत्रावली की आवश्यकता है। अतः चाहा जा रहा रिकॉर्ड/पत्रावली भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि प्रतिलिपि समय पर जारी की जा सके। इसे अति आवश्यक समझा जावे।

क्र.सं.	नाम सोंगा	प्रकरण संख्या	अनवान	तारीख पेशी	निर्णय दिनांक
	अपील	71/16	रामलाल बनाम रामप्रताप		11-12-17

शाखा प्रभारी
कार्यालय रिकॉर्ड शाखा
कार्यालय हाजा